



कार्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

e-Mail Id-atmajmt@gmail.com

(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

“पहले आओ पहले पाओ के आधार पर”

वित्तीय वर्ष 2024–25 में Food & Nutrition Security – Nutri Cereals योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एवं उपादान वितरण के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना:—

जामताड़ा जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने बहु फसलीय कृषि का विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई एवं कृषि उपादान छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है—

Food & Nutrition Security – Nutri Cereals

Sl. No.	Component	Approved assistance rate	Phy.
1	Integrated Nutrient Management (INM)		
	(i) Lime/ Dolomite	Rs. 500/ha	23
	(ii) Biofertilizer	Rs. 500/ha	22
	Total		45
2	Integrated Nutrient Management (IPM)		
	(i) Distribution of PP Chemical	Rs. 500/ha	35
	(ii) Weedicides	Rs. 500/ha	10
	Total		45
3	Flexi Components		
(a)	Farm implements & equipments		
	(i) Manual Sprayer for SC/ST, Women Farmers, Small and Marginal Farmers	50% of the cost or Rs. 600/unit whichever is less	45
	(ii) Manual Sprayer for other Farmers	40% of the cost or Rs. 500/unit whichever is less	20
	Sub Total (Item 6)		65

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निदेश:—

- आवेदन पत्र पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य होगा।
- इस योजना का लाभ वैसे किसान ले सकेंगे जो पिछले तीन वर्षों में सरकारी किसी भी संस्थान से कृषि यंत्र का लाभ न लिया हो।
- पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक—10.07.2024 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जा सकेंगे। 10.07.2024 के पश्चात किसी भी परिस्थित में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विहित प्रपत्र Website- <https://www.atmajamtara.org.in/> प्राप्त किया जा सकता है।
- Food & Nutrition Security – Nutri Cereals अन्तर्गत राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान की राशि DBT के माध्यम से लाभुक/लाभुक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार में संबंधित कम्पनी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- आवेदन के साथ आधार कार्ड, जमीन रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, संलग्न किया जाएगा।
- अनुदानित दर पर Input लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि यंत्र वितरण किया जाएगा।
- विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवंटित प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के अनुसार इन्पुट एवं कृषि यंत्र का वितरण किया जायेगा।
- अनुदानित दर पर इन्पुट एवं कृषि यंत्र के वितरण में FPOs/JSLPS/जलछाजन के सदस्यों/कृषकों को प्राथमिकता दी जायगी।

कार्यालय का पता—परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सखेलडीह, जामताड़ा।

जिला कृषि पदाधिकारी सह
परियोजना निदेशक, आत्मा, जामताड़ा।